37/2022/I/151410/2022-71-2001/587/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2022

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत गोमतीनगर विस्तार के समीपस्थ स्थित राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु चिकित्सालय (पूर्व नाम 200 शैय्या मातृ एवं शिशु चिकित्सालय) में कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-5032/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2022, दिनांक 10 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोमतीनगर विस्तार में संस्थान के नवीन परिसर के समीपस्थ निर्मित 200 बेडेड महिला एवं बाल चिकित्सालय में कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-88/2018/750/71-2-18-आर0एम0-28/2016, दिनांक 14-05-2018 द्वारा रू0 1358.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 543.532 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-104 /2021/1/92600/2021, दिनांक 27-08-2021 द्वारा रू0 135.883 लाख एवं शासनादेश संख्या-130/2021/I/118656/2021-71-2001/587/2019, दिनांक 03-12-202021 द्वारा रू0 339.70 लाख अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अब तक कुल रू0 1019.115 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10 मार्च, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नवीन कैम्पस के निकट 200 शैय्या मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्यो हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 271.78 लाख (रूपये दो करोड इकहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) (अनुदान सं0-31 से रू0 214.71 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 57.07 लाख) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
4. प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तद्नुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन: शासन से परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. शासनादेश संख्या-88/2018/750/71-2-18-आर0एम0-28/2016, दिनांक 14-05-2018 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्तीय वर्ष 2021-2022 में निर्माण कार्यो के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 के प्रतिबन्धों /दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ‘‘4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य’’ से रू0 214.71 लाख तथा अनुदान संख्या-83 - समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-28-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' से रू0 57.07 लाख के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231 /2021, दिनांक 22, मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त ई-3
7. अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।